

X

2025/439

प्रकरण सं. 359/25

निर्दि - 14-10-25

पत्र-8

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
..... (जी.ए.सी.)

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नियेदन है कि ग्राम केरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 को खाता संख्या 657 में मूल सिंहा के नाम पर दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न प्रमाण के अनुसार खातेदार का सही नाम मूल सिंहा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
मूल सिंहा
(..... 8.5.29.2243)

दिनांक-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम केरिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 657 में प्रार्थी का नाम मूल सिंहा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न प्रमाण के अनुसार खातेदार का सही नाम मूल सिंहा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. Maulvi
Ur Aalwan

पटवारी कै.के.के.के.
19/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार कै.के.के.के.

ग्रामीण सेवा शिविर 2025
19.09.25
07

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी के.के.के. एवं भू.अ.नि. आलवान एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम केरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 657 में प्रार्थी का नाम मूल सिंहा के यजाय मूल सिंहा किये जाने हेतु अभिरांभा की जाती है।

तहसीलदार कै.के.के.के.
कै.के.के.के.

आदेश
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कै.के.के.के. ग्राम केरिया जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 657 में दर्ज प्रार्थी का नाम मूल सिंहा के यथा पर मूल सिंहा के नाम पर संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कै.के.के.के.